निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 234/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नानगराम पुत्र लादूराम
2. गोपाल पुत्र लादूराम
3. लल्लूराम पुत्र रामपाल (मृतक)

   3/1. जानकी देवी पत्नी लल्लूराम

   3/2. नानगी देवी पत्नी लल्लूराम

   3/3. ओम प्रकाश पुत्र लल्लूराम

   3/4. सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम

   समस्त निवासी ग्राम आसावाला उर्फ यशोदानन्दपुरा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर ।
4. मदन लाल पुत्र रामपाल (मृतक)

   4/1. श्रीमती किशोरी बेवा मदन लाल

   4/2. भगवान सहाय पुत्र मदन लाल (मृतक)

   4/2/1. संतोष शर्मा पत्नी भगवान सहाय

   4/2/2. अभिषेक पुत्र भगवान सहाय

   4/2/3. जय श्री शर्मा पुत्री श्री भगवान सहाय

   4/3. कालूराम पुत्र मदन लाल

   4/4. सीताराम पु. मदन लाल
5. ग्यारसी लाल पुत्र श्री रामपाल

   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम आसावाला उर्फ यशोदानन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जययपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर ।

2 मदन लाल पुत्र मथुरा लाल जाति महाजन, निवासी आसावाला, सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर ।

4 उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, त5हसील सांगनेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 264/2008 ब उनवानी नानगराम व अन्य बनाम मदन लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री बी एल वर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री ताराचन्द मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 05.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 264/2008 व उनवानी नानगराम व अन्य बनाम मदन लाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री ताराचन्द मीणा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 मदन लाल पुत्र मथुरा लाल निवासी आसावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर जाति महाजन पीठासीन अधिकारी श्रीमती काबरा के सम जाति यानि महाजन होने के नाते प्रतिवादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से कार्यालय समय के बाद मिलते है एवं एलानिया यह कहते है कि अब तो हमारी जाति की उपखण्ड अधिकारी आ गई है इसलिए हमारे पक्ष में निर्णय जो जायेगा। वादी गण ने पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन दिनांक 10.10.32022 एवं 17.10.2022 को जब उपखण्ड अधिकारी जी से उनके घर एवं कार्यालय मे बार–बार अप्रार्थी संख्या 2 मदन लाल को सम्पर्क करते देखा तो वादीगण को यह आभास हो गया कि वाद जहां विचाराधीन है, उस न्यायालय से उनको न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है। न्याय का समान्य सिद्वान्त है कि " Justice not only be done but it should be also appeared to have been done" उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के आचरण से ऐसा आभास हो चुका है कि वादीगण के उपरोक्त वाद में न्याय पूर्ण निर्णय नहीं हो सकेगा। अतः उक्त प्रकरण को जयपुर स्थित किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के समाज का नहीं है। पीठासीन अधिकारी जैन समाज से है। मिन अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी का घर भी नहीं जानता है। प्रार्थी ने अपने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी के ऐसे किसी आचरण का उल्लेख नहीं किया जिससे ऐसा लगता हो कि वह न्यायपूर्ण निर्णय नहीं करेंगे। प्रार्थीगण ने काल्पनिक एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर अन्तिम बहस से बचने के लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय की पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम

जिला कलक्टर
जयपुर

दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर